**FROM No.III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ......... मुकाम .........

अणदाराम ......... बनाम ......... प्रेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा RT आवेदन 111,128 RLR Act नं. 43 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3.3.2020 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम मारवाड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/3/20 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 24/03/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/06/2020 को पेश हो। | |
| 17/06/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/12/2020 को पेश हो। | |

21/12/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 24/03/2021 को पेश हो।

24/03/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/07/2021 को पेश हो।

06/07/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 08/10/2021 को पेश हो।

08/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/01/2022 को पेश हो।

10/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/02/2022 को पेश हो।

| हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु.<br>न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेहा मेह आये हुए है खेतों के मध्य जो पुराना मांढ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें।<br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु | |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 73 | दिनांकः– 25/2/2022

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **विप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1. अणदाराम पुत्र समेलाराम वगैरा 8<br>जाति जाट, निवासी जोगुओं की ढाणी,<br>पटवार मण्डल कुम्पलिया,<br>तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर | | 1. पूनमाराम पुत्र हीराराम वगैरा 15<br>जाति जाट, निवासी जोगुओं की ढाणी,<br>पटवार मण्डल कुम्पलिया,<br>तहसील गिड़ा (बाड़मेर) |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**राजस्व आवेदन संख्या – 43 / 2020**

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – जोगूओं की ढाणी, पटवार मण्डल – कूम्पलिया, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 789, 790, 792, 793, 794, 795 रकबा क्रमशः 0.05, 82.05, 25.12, 49.02, 0.05, 87.00 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 25/02/2022

कमांक / वाद / 2022 / 74-78

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अणदाराम पुत्र समेलाराम वगैरा 8
4. विप्रार्थी श्री पूनमाराम पुत्र हीराराम वगैरा 15
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु